

(नियम 5 देखें)

न्यायालय तहसीलदार बलौदा के समक्ष राजस्व प्रकरण क्रमांक 202402060500004/A-24/2023-24
ग्राम- बोकरेल, तहसील-बलौदा, जिला-जांजगीर चाम्पा (छ.ग.)

//आदेश//

(दिनांक: 07/02/2024)

भूमि स्वामी- मेसर्स प्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, चांपा द्वारा महाप्रबंधक श्री सुभाष हरदहा, पिता-बद्री प्रसाद हरदहा, निवासी मकान नं. 43, वालफोर्ट शहर के पास, नेचुरल सिटी भाठा गांव, तहसील- रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.) के द्वारा ग्राम- बोकरेल, तहसील-बलौदा, जिला-जांजगीर चाम्पा (छ.ग.) में स्थित उसके खाते के अंश अवत्यजन की सूचना प्राप्त होने पर तथा आवश्यक जांच करने के पश्चात् से एतद् द्वारा उक्त अधिकार के अवत्यजन को स्वीकार करती हूं और आज्ञा देती हूं कि उक्त भूमि को छ.ग.भू.रा. संहिता के धारा 233 के पद (ख) के अधीन तैयार किये गये दखल रहित भूमि में अभिलेख में कृषि के हेतु उपलब्ध के रूप में अनुसूचित के स्तंभ (4) तथा (5) में उल्लेखित अधिकारों, धारणों, भारों अथवा साम्यों के अधीन प्रविष्ट किया जायेगा।

अनुसूची

त्यजन किये जाने वाले खाते या खाते के अंश का ब्यौरा

खाता क्रमांक सर्वेक्षण संख्याको/ भू-खण्डों सहित	क्षेत्रफल	भू-राजस्व	अधिकार धारण, भार या साम्य	ऐसे व्यक्ति का नाम जिसके हित में वे अवस्थित है	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खसरा क्र.180/1/ख, ग्राम-बोकरेल, प.ह.नं 18, तहसील-बलौदा, जिला- जांजगीर चाम्पा (छ.ग.)	12.181 हेक्टेयर	--	वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, छ.ग. शासन, वन मंडल-चाम्पा	मेसर्स प्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, चांपा द्वारा महाप्रबंधक श्री सुभाष हरदहा, पिता-बद्री प्रसाद हरदहा	भास्करपारा कोयला खनन परियोजना में प्रभावित हो रही वन भूमि के बदले क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वर्णित भूमि स्वेच्छा से शासन के हित में अवत्यजन करने के कारण

छ0ग0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 173 के तहत ग्राम बोकरेल तहसील बलौदा की भूमि खसरा क्र. 1180/1/ख रकबा 12.181 हेक्टेयर का त्यजन स्वीकार किया जाता है व त्यजन की गई भूमि को वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, छ0ग0 शासन के नाम पर छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 233 के तहत दखल रहित भूमि के रिकॉर्ड में इन्द्राज करने का आदेश पारित किया जाता है।


तहसीलदार
बलौदा

प्रतिलिपि-

- वनमण्डलाधिकारी, वन विभाग जिला-जांजगीर चाम्पा (छ.ग.) की ओर आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ संप्रेषित।
- वन परिक्षेत्राधिकारी, बलौदा परिक्षेत्र को सूचनार्थ।
- मेसर्स प्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, चांपा द्वारा महाप्रबंधक श्री सुभाष हरदहा, निवासी मकान नं. 43, वालफोर्ट शहर के पास, नेचुरल सिटी भाठा गांव, तहसील- रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- हल्का पटवारी 18 बोकरेल को पालनार्थ एवं अभिलेख दुरुस्ती हेतु।


तहसीलदार
बलौदा



फॉर्म पी-II खसरा पांचसाला खण्ड-1 (भूमिस्वामी का विवरण)

कृषि वर्ष: 2023-2024

ग्राम : बोकरेल (5409127)

हल्का : 00018

रा नि : पहरिया

तहसील : बलौदा

जिला : जांजगीर-चांपा

20240207540900048

भूमि का ब्यौरा हेक्टेयर में एवं करो का ब्यौरा रुपये पैसे में है।

क्रमांक	क्षेत्रफल (और यदि भूमि खातो में सम्मिलित न हो तो उसका वर्णन)	कब्जेदार का विवरण				प्रयोजन जिसके, लिए भू-राजस्व निर्धारण किया गया है तथा नियत भूराजस्व	अधिकार जिसके अंतर्गत भूमि धारण की गई हो	किसी भूमि स्वामी या पट्टेदार या किसी मौरुबी कास्तकार के उपपट्टेदार का नाम, पिता का नाम, लगान या पट्टे की रकम और उप-पट्टे पर दिया गया भाग का क्षेत्रफल	कैफियत
		नाम	पिता या पति का नाम	जाति	निवास स्थान	पड़ती का क्षेत्रफल			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1180/1/ख	12.1810 (राज्य सरकार)	वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग छ.ग.शासन,			वन मंडल चाम्पा		शासकीय भूमि		खसरा आईडी : 113932262 न्यायालय तहसीलदार बलौदा के समक्ष राजस्व प्रकरण क्रमांक 202402060500004/A- 24/2023-24 ग्राम बोकरेल, तहसील बलौदा, जिला-जांजगीर चाम्पा (छ.ग.), आदेश दिनांक- 07/02/2024)

वन परिक्षेत्राधिकारी
बलौदा वन परिक्षेत्र

Digitally signed by TOSHIBA DEWANGAN

Date: 2024.02.07 22:24:56 +05:30

Reason: Certified to be TRUE COPY of the digitally published RC

टीप:- फसल विवरण तथा फसल ऋण की जानकारी 'फॉर्म पी-II खसरा खण्ड-2' से प्राप्त होगा।